**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 875**
**दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी**

**875. श्री कौशलेन्द्र कुमार:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद लाभार्थियों का उचित उपचार नहीं किया जाता है और अधिकांश अस्पतालों में पैसे देने के लिए बाध्य किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों,चाहे वे सरकारी अस्पताल ही क्यों न हों, हेतु कड़ी कार्रवाई करने/सख्त दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लगभग 35.89 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक - I** में दिया गया है।

(ख) 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है, जो इस योजना के अंतर्गत 6 करोड़ व्यक्तियों के तदनुरूप है। एबी-पीएमजेएवाई स्रोत डेटाबेस के अनुसार, मौजूदा योजना में 1.73 करोड़ परिवार हैं, जिनमें कम से कम एक सदस्य 70 वर्ष और उससे अधिक आयु का है, और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या 2.15 करोड़ है। दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए गए हैं, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

(ग) से (च): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या के उपयोग में लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। लाभार्थी वेब-आधारित पोर्टल, केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर, ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है जिसमें अस्पताल के साथ समन्वय और योजना के तहत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) पर कुल 5,565 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 98% शिकायतों का समाधान जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के माध्यम से किया गया है।

विस्तृत शिकायत निवारण दिशा-निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:
https://nha.gov.in/img/resources/OM-Grievance-Redressal-Guideline-Dec-2021.pdf

**अनुलग्नक - I**

**योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या** |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 72,939 |
| आंध्र प्रदेश | 1,55,76,406 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1,47,005 |
| असम | 1,76,97,074 |
| बिहार | 3,56,39,789 |
| चंडीगढ़ | 2,13,794 |
| छत्तीसगढ़ | 2,27,26,145 |
| दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव | 4,45,366 |
| गोवा | 81,888 |
| गुजरात | 2,61,36,516 |
| हरियाणा | 1,21,76,689 |
| हिमाचल प्रदेश | 13,39,890 |
| जम्मू और कश्मीर | 86,68,794 |
| झारखंड | 1,22,83,078 |
| कर्नाटक | 1,75,35,705 |
| केरल | 77,21,284 |
| लद्दाख | 1,89,601 |
| लक्षद्वीप | 36,996 |
| मध्य प्रदेश | 4,07,32,323 |
| महाराष्ट्र | 2,87,04,774 |
| मणिपुर | 6,53,206 |
| मेघालय | 20,09,470 |
| मिजोरम | 5,66,253 |
| नागालैंड | 7,40,084 |
| पुडुचेरी | 5,14,148 |
| पंजाब | 89,61,752 |
| राजस्थान | 2,23,43,366 |
| सिक्किम | 78,616 |
| तमिलनाडु | 75,33,010 |
| तेलंगाना | 82,49,233 |
| त्रिपुरा | 20,05,835 |
| उत्तर प्रदेश | 5,13,36,525 |
| उत्तराखंड | 58,16,538 |

**अनुलग्नक - II**

**<u>योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए आयुष्मान वय वंदन कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण</u>**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 60 |
| आंध्र प्रदेश | 8288 |
| अरुणाचल प्रदेश | 9 |
| असम | 3780 |
| बिहार | 31364 |
| चंडीगढ़ | 4073 |
| छत्तीसगढ़ | 6018 |
| गोवा | 1063 |
| गुजरात | 122988 |
| हरियाणा | 47338 |
| हिमाचल प्रदेश | 8251 |
| जम्मू और कश्मीर | 349 |
| झारखंड | 455 |
| कर्नाटक | 51250 |
| केरल | 327448 |
| लद्दाख | 3 |
| लक्षद्वीप | 24 |
| मध्य प्रदेश | 497622 |
| महाराष्ट्र | 2302 |
| मणिपुर | 2057 |
| मेघालय | 35 |
| मिजोरम | 22 |
| नागालैंड | 54 |
| पुडुचेरी | 2056 |
| पंजाब | 24610 |
| राजस्थान | 9295 |
| सिक्किम | 387 |
| तमिलनाडु | 45238 |
| तेलंगाना | 8111 |
| दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव | 544 |
| त्रिपुरा | 350 |
| उत्तर प्रदेश | 208705 |
| उत्तराखंड | 2226 |

*****